

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 10-10-2026

विषय सूची

भारत और कतर द्वारा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा

तृतीय अंतरराष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी, 2026

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 2026

विश्व कपास दिवस

गरिमा और विनम्रता: नैतिक सुशासन के लिए अनिवार्य सद्गुण

संक्षिप्त समाचार

खादी एवं ग्रामोद्योग (KVI)

वैश्विक ग्रीनफील्ड निवेश

मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF)

CAQM समिति द्वारा 2030 तक दिल्ली में 100% इलेक्ट्रिक कारों का प्रस्ताव

SIDM चैंपियन पुरस्कार 2026

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा जाएगा

भारत और कतर द्वारा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा

संदर्भ

- भारत और कतर ने विदेश कार्यालय परामर्श के छठे दौर के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की।

भारत-कतर संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **राजनयिक संबंधों की स्थापना:** भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। वर्ष 2023 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हुए।
- **रणनीतिक साझेदारी:** वर्ष 2025 में भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
 - भारत के वर्तमान में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के चार अन्य सदस्य देशों—संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, ओमान और कुवैत—के साथ भी रणनीतिक साझेदारी संबंध हैं।
- **आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:** वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13.91 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इस अवधि के दौरान कतर को भारत का निर्यात 1.62 अरब अमेरिकी डॉलर तथा कतर से भारत का आयात 12.29 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
 - दोनों देशों ने दोहरे कराधान से बचाव संबंधी संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं तथा वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की योजना बनाई है।
- **ऊर्जा:** कतर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने कतर से 5.61 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की 10.86 मिलियन मीट्रिक टन LNG का आयात किया।
 - इसके अतिरिक्त, कतर भारत को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) का भी सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने कतर से 2.67 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की 4.58 मिलियन मीट्रिक टन LPG का आयात किया।
 - वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन व्यापार 10.81 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो कुल द्विपक्षीय व्यापार का 77.71% था।
 - वर्ष 2024 में कतर एनर्जी (QatarEnergy) और पेट्रोनेट LNG ने 20 वर्ष के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत वर्ष 2028 से प्रतिवर्ष 7.5 मिलियन टन LNG की आपूर्ति की जाएगी।

- **रक्षा:** भारत-कतर रक्षा सहयोग समझौते पर वर्ष 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे तथा वर्ष 2018 में इसे पाँच वर्ष के लिए विस्तारित किया गया। इस सहयोग का संचालन संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के माध्यम से किया जाता है।
 - भारत द्विवार्षिक दोहा अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एवं सम्मेलन (DIMDEX) में भाग लेता है।
 - ज़ैर-अल-बहर भारतीय नौसेना और कतर की अमीरी नौसेना (QENF) के बीच आयोजित एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है।
- **श्रम एवं प्रवासी भारतीय समुदाय:** कतर में लगभग 8.30 लाख भारतीय रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ जन-से-जन संबंधों और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते हैं।
 - कतर में भारतीय प्रवासी समुदाय वहाँ के विकास, विशेषकर निर्माण क्षेत्र एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) पश्चिम एशिया के छह देशों—सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान—का एक राजनीतिक एवं आर्थिक गठबंधन है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी।
 - भारत GCC के साथ नियमित रूप से संवाद करता है और इस संगठन के साथ अपने संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है।

खाड़ी क्षेत्र

- खाड़ी क्षेत्र से सामान्यतः पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास स्थित देशों का आशय है।
- इसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देश शामिल हैं।
- यह क्षेत्र विशाल तेल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।



भारत के लिए कतर का महत्त्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** कतर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इससे होने वाला आयात भारत में विद्युत उत्पादन, उर्वरक निर्माण और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करता है।
- **प्रवासी भारतीय समुदाय:** कतर में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते और कार्य करते हैं। वे कतर की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ-साथ भारत को धन प्रेषण भी करते हैं। उनकी सुरक्षा, कल्याण और श्रम अधिकार द्विपक्षीय संबंधों के महत्त्वपूर्ण विषय हैं।
- **समुद्री सुरक्षा:** कतर की अवस्थिति होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इसलिए क्षेत्रीय स्थिरता भारत के ऊर्जा आयात और वाणिज्यिक नौवहन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **क्षेत्रीय कूटनीति:** कतर विभिन्न क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पक्षों के साथ राजनयिक संवाद बनाए रखता है। उसकी कूटनीतिक सक्रियता संघर्षों पर संवाद, तनाव कम करने और पश्चिम एशिया में भारत के हितों की रक्षा करने में सहायक हो सकती है।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

- **हमास-इजराइल युद्ध एवं समुद्री सुरक्षा:** हमास-इजराइल युद्ध तथा लाल सागर में जहाजों पर होने वाले हमलों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास प्रभावित होते हैं।
- **पश्चिम एशिया में संतुलित कूटनीति:** भारत पश्चिम एशिया की राजनीति में सतर्क प्रवृत्ति अपनाते हुए खाड़ी देशों, ईरान और इजराइल के साथ अपने संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है।
- **व्यापार में सीमित विविधीकरण:** द्विपक्षीय व्यापार में हाइड्रोकार्बन का महत्त्वपूर्ण वर्चस्व है। इससे विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, सेवाओं तथा अन्य गैर-ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएँ बनी हुई हैं।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाओं में विलंब:** क्षेत्रीय संघर्ष के कारण वर्ष 2023 से I2U2 समूह की पहलों में प्रगति प्रभावित हुई है।
 - भारत संघर्ष के बावजूद I2U2 तथा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) जैसी आर्थिक पहलों को आगे बढ़ाने पर बल देता है।
- **GCC के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** GCC के व्यापार वार्ताकार में बदलाव के कारण भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ है। ऐसा समझौता करना, जो GCC के सभी सदस्य देशों की अपेक्षाओं को संतुष्ट करे, एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

आगे की राह

- कतर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विविधीकरण तथा पश्चिम एशिया के साथ व्यापक जुड़ाव की रणनीति में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है।
- इस महत्त्वपूर्ण पश्चिम एशियाई साझेदारी को दीर्घकालिक एवं भविष्य के अनुरूप बनाने के लिए संस्थागत ढाँचों को सुदृढ़ करना, आर्थिक पूरकताओं का विस्तार करना तथा भारतीय प्रवासी समुदाय के कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

स्रोत: MEA

तृतीय अंतरराष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी, 2026

संदर्भ

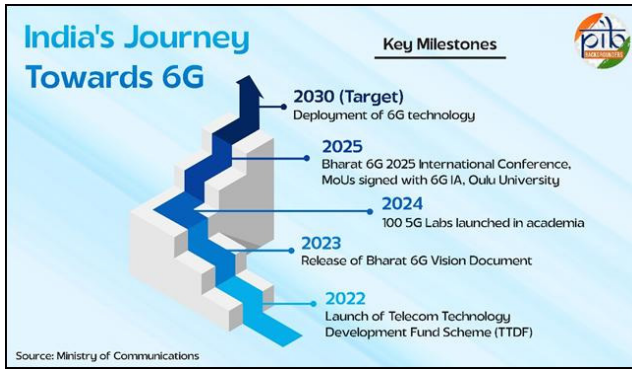
- तृतीय अंतरराष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी, 2026 का समापन नई दिल्ली में हुआ।

परिचय

- भारत 6G गठबंधन (B6GA) द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के साथ आयोजित इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में वैश्विक दूरसंचार क्षेत्र के प्रमुख नेताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें IMT-2030 तथा उससे आगे की प्रौद्योगिकियों के विकास की रूपरेखा पर चर्चा की गई।
- इस संगोष्ठी का एक प्रमुख परिणाम GSMA, one6G, GTI अलायंस, 6G इनोवेशन फोरम (6G IF), ताइवान तथा VOICE के साथ पाँच नए समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान रहा। इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

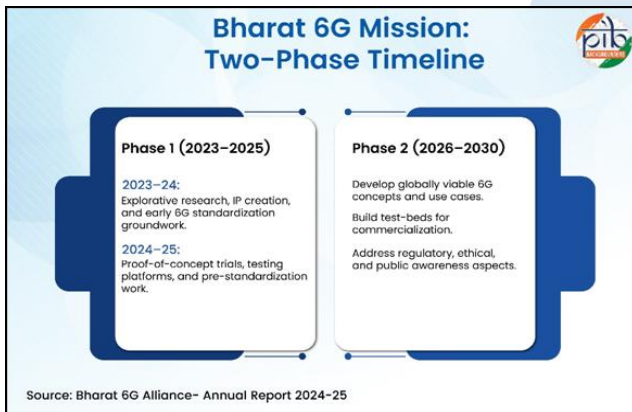
6G क्या है?

- 6G अर्थात् छठी पीढ़ी की वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी, 5G का उत्तराधिकारी संस्करण होगा। इसका उद्देश्य इंटरनेट कनेक्टिविटी को अधिक तीव्र, सुचारु और प्रभावी बनाना है।
- 6G का लक्ष्य सूचना को मात्र एक माइक्रोसेकंड में भेजने और प्राप्त करने की क्षमता विकसित करना है। यह समय 5G की प्रतिक्रिया अवधि की तुलना में 1,000 गुना कम है।
- अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) ने 6G प्रौद्योगिकी को 'IMT-2030' नाम दिया है।
 - IMT-2030 का पूर्ण रूप International Mobile Telecommunications for 2030 अर्थात् वर्ष 2030 के लिए अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार है।



भारत का 6G मिशन

- भारत ने आगामी पीढ़ी की वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी दृष्टि के साथ 6G की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए।
- इस दृष्टिकोण ने नवाचारकर्ताओं, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और नीति-निर्माताओं के एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित किया है। ये सभी बेहतर कनेक्टिविटी और उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में कार्यरत हैं।



भारत 6G गठबंधन के बारे में

- भारत 6G गठबंधन की स्थापना वर्ष 2023 में हुई थी। यह एक उद्योग-नेतृत्व वाला सहयोगात्मक मंच है, जो भारत की 6G संबंधी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाता है।
- यह गठबंधन निम्नलिखित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता है:
 - स्वदेशी अनुसंधान एवं नवाचार।
 - बौद्धिक संपदा का सृजन।
 - अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण प्रक्रियाओं में भागीदारी।
 - अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का विकास।
 - किफायती, सुरक्षित, सतत और वैश्विक स्तर पर परस्पर-संगत 6G पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।

6G प्रौद्योगिकी के विकास हेतु पहले

- देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G प्रयोगशालाओं की स्थापना:** सरकार ने क्षमता निर्माण तथा देश में 6G के लिए तैयार शैक्षणिक एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं।
- दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (TTDF) योजना:** वर्ष 2022 में प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य 6G सहित दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा नवाचार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना भारत के दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है।
- IIIT-बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र:** अंतरविषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS) के अंतर्गत IIIT-बेंगलुरु में एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र उन्नत संचार प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो भविष्य के 6G नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

6G दृष्टिकोण का महत्व

- 6G प्रौद्योगिकी विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन लाने में सक्षम होगी।
 - स्वास्थ्य सेवा:** टेलीमेडिसिन, रोबोट-सहायित शल्य चिकित्सा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित रोग निदान को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
 - कृषि:** इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेंसरों के माध्यम से स्मार्ट निगरानी और सटीक कृषि को बढ़ावा मिलेगा।
 - शिक्षा:** संवर्धित वास्तविकता (AR) एवं आभासी वास्तविकता (VR) तकनीकों के माध्यम से वास्तविक समय में अधिक संवादात्मक और अनुभवात्मक शिक्षण संभव होगा।
- औद्योगिक स्वचालन:** बेहतर मशीन-से-मशीन संचार, डिजिटल ट्विन्स (भौतिक प्रणालियों की आभासी प्रतिकृतियाँ) तथा IoT के उपयोग से उद्योग 4.0 को गति मिलेगी और स्मार्ट उद्योगों का विकास होगा।

चुनौतियाँ

- अनुसंधान एवं विकास में निवेश:** अर्धचालकों, AI प्रोसेसरों और उन्नत सिस्टम-ऑन-चिप (SoCs) के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।
- साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता:** अत्यधिक परस्पर-संबद्ध नेटवर्क वातावरण में साइबर हमलों, डेटा के दुरुपयोग और निजता के उल्लंघन से संबंधित चिंताएँ बढ़ सकती हैं।

- बुनियादी ढाँचे की उच्च लागत: छोटे सेल नेटवर्क, फाइबर-ऑप्टिक बैकहॉल तथा एज-कंप्यूटिंग सुविधाओं का व्यापक नेटवर्क स्थापित करने में अधिक लागत आ सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ और भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में यह चुनौती अधिक गंभीर होगी।

निष्कर्ष

- भारत का 6G मिशन आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- यह मिशन भारत को उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों एवं समाधानों के एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका उद्देश्य ऐसी किफायती प्रौद्योगिकियों का विकास करना है, जो न केवल भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, बल्कि वैश्विक कल्याण में भी योगदान दें।

स्रोत: PIB

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 2026

संदर्भ

- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।

परिचय

- इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ (WFMH) द्वारा की गई थी।
- इस वैश्विक दिवस का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विश्वभर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के समर्थन में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।
- वर्ष 2026 की थीम: जीवनानुभवों को सुना जाए: वास्तविक आवाजें, वास्तविक बदलाव (Lived experiences heard: real voices, real change)।

मानसिक स्वास्थ्य क्या है?

- मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति जीवन के सामान्य तनावों का सामना करने में सक्षम होता है। यह व्यक्ति को सीखने, प्रभावी ढंग से कार्य करने तथा समुदाय में योगदान देने में सहायता करता है।
- अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल हैं।
- खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण चिंता, अवसाद तथा अन्य गंभीर मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इनके शारीरिक स्वास्थ्य, पारस्परिक संबंधों और व्यक्ति की समग्र कार्यक्षमता पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं।



भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में चुनौतियाँ

- **सामाजिक कलंक:** भेदभाव और सामाजिक रूप से नकारे जाने का भय व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को स्वीकार करने या पेशेवर सहायता लेने से हतोत्साहित करता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का अभाव:** लोग अवसाद तथा अन्य सामान्य मानसिक विकारों के लक्षणों को पहचानने में असफल रहते हैं, जिससे निदान और उपचार में विलंब होता है।
- **वृद्धजनों की उपेक्षा:** अकेलापन, सामाजिक अलगाव तथा उम्र से जुड़ी चुनौतियाँ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। वहीं, परिवार के सदस्य कई बार अवसाद के लक्षणों को वृद्धावस्था की सामान्य प्रक्रिया समझ लेते हैं।
- **देखभाल तक असमान पहुँच:** मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएँ मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इससे ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उपचार प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- **भ्रामक जानकारी:** अपुष्ट दावे और गलत धारणाएँ लोगों को वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित चिकित्सा एवं उपचार प्राप्त करने से हतोत्साहित कर सकती हैं।

भारत द्वारा की गई पहलें

- **टेली-मानस (Tele-MANAS):** यह 24x7 उपलब्ध राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, जिसका उद्देश्य निःशुल्क परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। कोविड-19 महामारी के दौरान तथा उसके बाद इसकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है।
- **आयुष्मान भारत एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से एकीकरण:** 1.75 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों (SHCs) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के रूप में उन्नत किया गया है, जहाँ व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP), 1982:** इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत में मानसिक विकारों के बढ़ते भार तथा पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से निपटने के उद्देश्य से की गई थी।
- **जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP):** इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1996 में की गई थी। बाद में इसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) में एकीकृत कर दिया गया।
 - यह कार्यक्रम कर्नाटक के सफल 'बेल्लारी मॉडल' पर आधारित है तथा समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** यह अधिनियम मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों की गरिमा एवं अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह भारत के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कानूनी ढाँचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों, विशेषकर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD), के अनुरूप बनाने में सहायता करता है।

वैश्विक पहलें

- **WHO की व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्ययोजना, 2013–2030:** इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेतृत्व को सुदृढ़ करना, समुदाय-आधारित सेवाओं का विस्तार करना, रोकथाम संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देना तथा मानसिक स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना है।
- **WHO का मानसिक स्वास्थ्य अंतराल कार्ययोजना कार्यक्रम (mhGAP):** यह कार्यक्रम विशेष रूप से सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में गैर-विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मियों के माध्यम से वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने में सहायता करता है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.4:** इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने तथा गैर-संचारी रोगों के कारण होने वाली समयपूर्व मृत्यु दर को कम करने पर बल दिया गया है।

आगे की राह

- **मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता को सुदृढ़ करना:** विद्यालयी पाठ्यक्रमों, कार्यस्थल संबंधी कार्यक्रमों और जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समझ एवं जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।
- **मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल का विस्तार:** विशेषज्ञों और सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा उनकी समान एवं आवश्यकता-आधारित तैनाती के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आँकड़ों में सुधार:** नियमित राष्ट्रीय सर्वेक्षणों, विश्वसनीय रिपोर्टिंग प्रणालियों तथा वंचित जनसंख्या पर केंद्रित अनुसंधान के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आँकड़ों की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए।

स्रोत: TH, PIB

विश्व कपास दिवस

संदर्भ

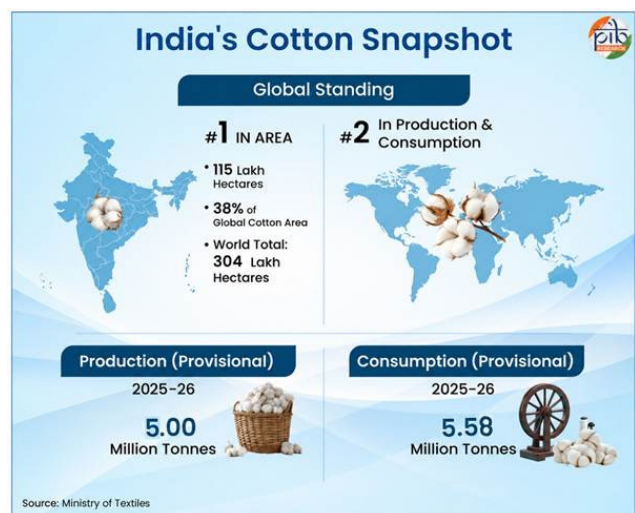
- भारत और माली के संयुक्त राष्ट्र स्थित स्थायी मिशनो ने विश्व कपास दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में "सततता के लिए कपास: आजीविका, मूल्य संवर्धन और साझेदारी" विषय पर एक कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन किया।

विश्व कपास दिवस

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
- विश्व कपास दिवस मनाने का विचार 'कॉटन फोर' (Cotton Four) देशों—बुर्किना फासो, बेनिन, चाड और माली—द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य कपास के उप-उत्पादों तथा उनके बाजारों को बढ़ावा देना था।
 - ये चारों देश उप-सहारा अफ्रीका के प्रमुख कपास उत्पादक एवं निर्यातक देशों में शामिल हैं।
- विश्व कपास दिवस का पहला आयोजन 7 अक्टूबर, 2019 को जिनेवा में किया गया था।

भारत में कपास का उत्पादन

- कपास का वैश्विक रेशे के कुल उत्पादन में लगभग 23% योगदान है।
- भारत में इसके आर्थिक महत्त्व के कारण इसे "सफेद सोना" भी कहा जाता है।



- भारत विश्व का एकमात्र देश है, जहाँ कपास की सभी चार मान्यता प्राप्त प्रजातियों की खेती की जाती है। इनमें जी. आर्बोरियम और जी. हर्बेशियम शामिल हैं, जिन्हें सामान्यतः एशियाई कपास कहा जाता है।
- भारत में कपास का उत्पादन मुख्यतः नौ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है, जिन्हें तीन विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
 - ♦ **उत्तरी क्षेत्र:** पंजाब, हरियाणा और राजस्थान।
 - ♦ **मध्य क्षेत्र:** गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।
 - ♦ **दक्षिणी क्षेत्र:** तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।
- इन राज्यों के अतिरिक्त ओडिशा और तमिलनाडु में भी कपास की खेती की जाती है।



- **बीटी कपास :** Bt का आशय बैसिलस थुरिंगिएसिस नामक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मृदा जीवाणु से है। इसके जीन कपास की फसल को बॉलवर्म (गेंद छेदक कीट) के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। यह कीट कपास की खेती को प्रभावित करने वाले प्रमुख कीटों में से एक है।
 - ♦ भारत में वर्ष 2002 में बीटी कपास को व्यावसायिक रूप से अपनाया गया। इससे बॉलवर्म के प्रकोप में उल्लेखनीय कमी आई तथा कीटनाशकों के छिड़काव की आवश्यकता भी कम हुई।

भारत का कपास निर्यात

- वर्ष 2024-25 में भारत का वैश्विक कपास निर्यात में 3.37% योगदान रहा। इसी अवधि में भारत का कपास उत्पादन 541.69 लाख गांठ (लगभग 9.21 मिलियन मीट्रिक टन) रहा।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में मूल्य के आधार पर कपास निर्यात 11.49 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

- भारतीय सूती कपड़ों एवं उनसे निर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा गंतव्य रहा, जिसके बाद बांग्लादेश का स्थान था।
- अन्य प्रमुख निर्यात गंतव्यों में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे।

कपास क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- **कम उत्पादकता:** भारत में कपास की उत्पादकता छोटी एवं बिखरी हुई जोतों, अपर्याप्त सिंचाई, कुछ क्षेत्रों में निम्न गुणवत्ता वाले बीजों तथा आधुनिक कृषि पद्धतियों को सीमित रूप से अपनाए जाने के कारण प्रभावित होती है।
- **जलवायु परिवर्तन:** अनियमित मानसून, बढ़ता तापमान, सूखा और बेमौसम वर्षा कपास की उपज तथा रेशे की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- **कीट एवं रोगों का प्रकोप:** गुलाबी बॉलवर्म, सफेद मक्खी तथा अन्य कीटों के कारण फसल को काफी हानि होती है और किसानों का कीटनाशकों पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है।
- **गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ:** कटाई, भंडारण और परिवहन के दौरान कपास में अशुद्धियाँ मिलने तथा रेशे की गुणवत्ता में असमानता के कारण प्रीमियम बाजारों में भारतीय कपास की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होती है।
- **बीज प्रौद्योगिकी से संबंधित समस्याएँ:** अधिक उपज देने वाली, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल किस्मों की सीमित उपलब्धता तथा वर्तमान बीज प्रौद्योगिकियों की लागत एवं प्रभावशीलता से जुड़ी चिंताएँ उत्पादकता को प्रभावित करती हैं।

कपास क्षेत्र को समर्थन देने हेतु सरकारी पहलें

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से कपास किसानों को सुदृढ़ करना:** वर्ष 2026-27 के लिए मध्यम रेशे वाली कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर ₹8,267 प्रति क्विंटल तथा लंबे रेशे वाली कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर ₹8,667 प्रति क्विंटल कर दिया गया। दोनों किस्मों के MSP में ₹557 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई।
- **कपास उत्पादकता मिशन :** वर्ष 2025-26 में पाँच वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य देशभर में कपास उत्पादन को सुदृढ़ करना है।
 - ♦ इस मिशन के अंतर्गत जलवायु-अनुकूल, कीट-प्रतिरोधी और अधिक उपज देने वाली कपास की किस्मों का विकास किया जाएगा।
 - ♦ वर्ष 2031 तक कपास उत्पादन को 297 लाख गांठ से बढ़ाकर 498 लाख गांठ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कपास पर विशेष परियोजना:** इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करना है। इसके अंतर्गत देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों को शामिल किया गया है।
 - इसका प्रमुख उद्देश्य उत्पादकता, रेशे की गुणवत्ता तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- **कपास किसान ऐप:** न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत कपास की खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए यह मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया है। इसके माध्यम से कपास उत्पादक किसान स्वयं का पंजीकरण कर सकते हैं तथा कपास की खरीद के लिए समय-सीमा निर्धारित कर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।
- **भारतीय कपास की ब्रांडिंग — कस्तूरी कॉटन भारत :** इस पहल का उद्देश्य पता लगाने की क्षमता, प्रमाणन और ब्रांडिंग के माध्यम से भारतीय कपास का मूल्य बढ़ाना तथा वैश्विक बाजार में उसकी स्थिति को सुदृढ़ करना है।

निष्कर्ष

- कपास की उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय को सुदृढ़ करने, खरीद प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार लाने के प्रयासों से एक अधिक सुदृढ़ एवं टिकाऊ कपास पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हो रहा है।
- गुणवत्ता, सततता और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने वाली नई पहलों के विस्तार से कपास क्षेत्र आने वाले वर्षों में आजीविका सृजन, औद्योगिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में अग्रसर है।

स्रोत: PIB

गरिमा और विनम्रता: नैतिक सुशासन के लिए अनिवार्य सद्गुण

संदर्भ

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने गरिमा, विनम्रता और सम्मानपूर्ण आचरण के महत्त्व को रेखांकित करने वाला एक संस्कृत सुभाषित साझा किया, जिससे नैतिक नेतृत्व और लोक प्रशासन में इन मूल्यों की प्रासंगिकता पुनः स्थापित हुई।

गरिमा और विनम्रता के बारे में

- यह श्लोक कहता है:

“वत्सराजोऽपि तं प्राप्तं प्रदत्तोपायनं नृपम्।

प्रीत्या सम्मानयामास शूरा हि प्रणतिप्रियाः॥”

- यह श्लोक लोगों का आत्मीयता और सम्मान के साथ स्वागत करने की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। साथ ही, यह उन व्यक्तियों के प्रति आदर व्यक्त करने के सद्गुण को रेखांकित करता है, जो विनम्रतापूर्वक हमारे पास आते हैं।
- **गरिमा:** जाति, वर्ग, लिंग, धर्म अथवा आर्थिक स्थिति से परे प्रत्येक मनुष्य का अपना अंतर्निहित मूल्य और सम्मान होता है।
- **विनम्रता:** अपनी सीमाओं को समझना, सीखने के लिए तत्पर रहना तथा अहंकार के बिना दूसरों का सम्मान करना।
- **उदाहरण के लिए:** महात्मा गांधी की सादगीपूर्ण जीवनशैली विनम्रता का उदाहरण थी, जबकि डॉ. बी. आर. आंबेडकर द्वारा समानता और संवैधानिक अधिकारों पर दिया गया बल मानवीय गरिमा का उदाहरण था।

लोक सेवाओं में भूमिका

- गरिमा और विनम्रता निम्नलिखित मूल्यों को विकसित करके नैतिक शासन को सुदृढ़ करती हैं:
 - **नागरिक-केंद्रित प्रशासन:** नागरिकों को सरकारी कृपा के लाभार्थियों के बजाय अधिकारधारकों के रूप में देखना।
 - **समावेशी शासन:** वंचित एवं हाशिए पर स्थित समुदायों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करना।
 - **विश्वास और जवाबदेही:** खुले विचार-विमर्श तथा स्वस्थ जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना।
 - **सहभागितापूर्ण निर्णय-निर्माण:** नागरिकों, विशेषज्ञों और बुनियादी स्तर पर कार्यरत संस्थाओं की बात सुनने के बाद ही नीतियों का निर्माण करना।
- अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। ये संवैधानिक प्रावधान शासन में मानवीय गरिमा के महत्त्व को और अधिक सुदृढ़ करते हैं।

सिविल सेवकों के लिए महत्त्व

- सिविल सेवकों में इन सद्गुणों का होना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक है:
 - अपने अधिकारों का उचित उपयोग करना तथा शक्तियों के दुरुपयोग से बचना।
 - आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करना।
 - प्रशासनिक त्रुटियों से सीखना तथा रचनात्मक सुझावों और प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना।
 - सहयोग, निष्पक्षता और समयबद्ध सेवा-प्रदान को प्रोत्साहित करना।
- उदाहरण के लिए: यदि कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी सुलभ तरीके से जनसुनवाई आयोजित करता है और

वंचित व्यक्तियों की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनता है, तो यह उसकी विनम्रता और मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान को दर्शाता है।

नैतिक दुविधाओं में गरिमा और विनम्रता

- सिविल सेवक प्रायः राजनीतिक दबाव और संवैधानिक नैतिकता, कार्यकुशलता और करुणा अथवा संस्थागत पदानुक्रम एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती का सामना करते हैं।
- उदाहरण के लिए: आपदा राहत के दौरान सहायता वितरित करने वाले पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायता निष्पक्ष रूप से प्रदान की जाए, साथ ही प्रभावित परिवारों की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता भी बनाए रखी जाए।
- स्थानीय समुदायों की बात सुनना विनम्रता का परिचायक है, जबकि बिना किसी भेदभाव के सभी तक राहत पहुँचाना मानवीय गरिमा का सम्मान है।
- हालाँकि, विनम्रता का अर्थ अधीनता स्वीकार करना नहीं होना चाहिए और न ही गरिमा के प्रति सम्मान को विधि के शासन से ऊपर रखा जाना चाहिए।

इन मूल्यों के अभ्यास में चुनौतियाँ

- **पॉवर-डिस्टेंस:** प्रशासनिक पदानुक्रम अहंकार और श्रेष्ठताबोध को बढ़ावा दे सकता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** बाहरी दबाव प्रशासनिक निष्पक्षता से समझौता करने का कारण बन सकता है।
- **कार्यभार और तनाव:** समय का दबाव संवेदनशील एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **सामाजिक पूर्वाग्रह:** जाति, लिंग और वर्ग से संबंधित पक्षपात आधिकारिक आचरण को प्रभावित कर सकते हैं।
- **प्रतीकात्मकता:** विनम्रता प्रदर्शित करने वाले औपचारिक या प्रतीकात्मक व्यवहार भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों को छिपा सकते हैं।

आगे की राह

- सिविल सेवा प्रशिक्षण में सहानुभूति, संवैधानिक सिद्धांतों और संवेगात्मक बुद्धिमत्ता को समाहित करना।
- शिकायत निवारण प्रणालियों और सामाजिक अंकेक्षण को सुदृढ़ करना।
- नैतिक नेतृत्व, नागरिकों से प्राप्त प्रतिक्रिया और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना।
- विशेष रूप से वंचित समूहों के लिए गरिमा-संवेदनशील सेवा-प्रदान सुनिश्चित करना।
- निरंतर नैतिक प्रशिक्षण और विचारपूर्ण निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

- गरिमा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना; विनम्रता का अर्थ है सत्ता का उपयोग सेवा के लिए करना।
- ये दोनों मूल्य मिलकर प्रशासन को केवल शक्ति के प्रयोग का माध्यम न रहने देकर न्याय, करुणा और सुशासन के प्रभावी साधन में परिवर्तित करते हैं।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

खादी एवं ग्रामोद्योग (KVI)

संदर्भ

- खादी एवं ग्रामोद्योग (KVI) ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने तथा आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वर्ष 1957 में की गई थी।
- यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत कार्य करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वरोजगार को प्रोत्साहन तथा स्थानीय उत्पादन को सुदृढ़ करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना है।
- इसके प्रमुख कार्यों में वित्तीय सहायता प्रदान करना, कारीगरों को प्रशिक्षण देना, विपणन में सहयोग करना तथा ग्राम-आधारित उद्यमों का विकास करना शामिल है।

खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की पहलें

- खादी विकास योजना (KVIY) वर्तमान योजनाओं के विभिन्न घटकों के माध्यम से खादी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है, जिनमें शामिल हैं:
 - संशोधित बाजार विकास सहायता (MMDA)
 - ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (ISEC)
 - खादी कारीगरों के लिए कार्यशाला योजना
 - मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों के बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण
 - विपणन अवसंरचना एवं खादी के लिए सहायता (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
- ग्रामोद्योग विकास योजना (GVY) साझा सुविधाओं, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण तथा उपकरण-किट वितरण के माध्यम से ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित करती है।

- खादी उत्कृष्टता केंद्र (CoEK) की स्थापना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT), नई दिल्ली के सहयोग से की गई है। इसका उद्देश्य खादी उत्पादों के लिए डिजाइन संबंधी सुधार, उत्पाद विकास तथा बाजार सहायता प्रदान करना है।

स्रोत: PIB

वैश्विक ग्रीनफील्ड निवेश

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020-2025 के दौरान वैश्विक ग्रीनफील्ड निवेश में भारत की हिस्सेदारी 5.7% रही।

ग्रीनफील्ड निवेश

- ग्रीनफील्ड निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक प्रकार है, जिसमें कोई मूल कंपनी विदेश में अपना व्यावसायिक परिचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह नई इकाइयों और अवसंरचना का निर्माण करती है।
 - ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में शुरुआत से ही नई सुविधाओं का निर्माण किया जाता है। यह ब्राउनफील्ड निवेश से भिन्न है, जिसमें पहले से विद्यमान संरचनाओं और सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।
- ग्रीनफील्ड निवेश में कई जोखिम होते हैं, जिनमें बड़ी पूँजी, समय और प्रयास की आवश्यकता के साथ-साथ अपरिचित व्यावसायिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने की चुनौती शामिल है।
- विकासशील देश प्रोत्साहनों के माध्यम से ग्रीनफील्ड निवेश आकर्षित करते हैं, जिससे रोजगार सृजन होता है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- वर्ष 2020 से 2025 के बीच वैश्विक ग्रीनफील्ड निवेश में रणनीतिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी 16% से बढ़कर 44% हो गई।
 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अवसंरचना और संबंधित प्रौद्योगिकियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों ने कुल वैश्विक ग्रीनफील्ड निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा आकर्षित किया।
 - AI अवसंरचना के बाद अर्धचालक मूल्य शृंखला (8.1%) तथा ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों एवं सेवाओं (7.8%) का स्थान रहा।
- क्षेत्रवार निवेश:
 - यूरोप में रणनीतिक निवेश का 28.4% हिस्सा आया, जबकि उत्तरी अमेरिका की हिस्सेदारी 28% रही।
 - विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश पूँजी

विकासशील एशिया (26.5%) की ओर प्रवाहित हुई। चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर नए निवेश के प्रमुख गंतव्य रहे।

भारत-विशिष्ट निष्कर्ष:

- वर्ष 2020 से 2025 के दौरान वैश्विक ग्रीनफील्ड निवेश में भारत की हिस्सेदारी 5.7% रही। इसके बाद मलेशिया (4%), इंडोनेशिया (3.8%) और चीन (2.8%) का स्थान रहा।
- पिछले लगभग दो दशकों में लागू की गई औद्योगिक नीतियों की संख्या के संदर्भ में भारत का स्थान ऊँचा रहा है।
- वर्ष 2008-2021 के दौरान भारत ने 1,416 औद्योगिक नीतियाँ लागू कीं। इस मामले में भारत केवल चीन (4,201) और अमेरिका (4,025) से पीछे रहा।

स्रोत: TH

मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF)

संदर्भ

- मध्य एशियाई संरक्षण नेटवर्क (CACN) ने एक नए मध्य एशियाई फ्लाईवे डिजिटल हब का शुभारंभ किया है।

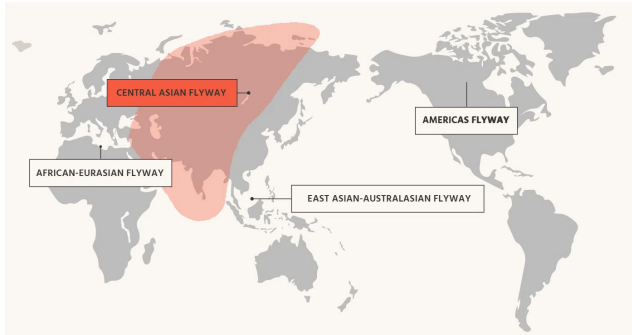
डिजिटल हब के बारे में

- इसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख प्रवासी मार्गों में से एक पर प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए ज्ञान और सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करना है।
- यह प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों, फ्लाईवे के महत्वपूर्ण स्थलों, संरक्षण परियोजनाओं तथा भागीदारी के अवसरों से संबंधित जानकारी को एक मंच पर उपलब्ध कराएगा।
- यह पक्षियों के टकराव की घटनाओं और चिह्नित पक्षियों के देखे जाने की सूचना दर्ज करने के लिए समर्पित पोर्टल भी उपलब्ध कराएगा।

मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF)

- मध्य एशियाई फ्लाईवे एक विशाल प्रवासी गलियारा है, जो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी एशिया तथा ट्रांस-कॉकस क्षेत्र के 30 देशों में फैला हुआ है। यह आर्कटिक महासागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है।
- इसमें प्रवासी जलपक्षियों, स्थलवासी पक्षियों तथा शिकारी पक्षियों के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग शामिल हैं। इनमें से अनेक प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं या उनकी जनसंख्या में गिरावट आ रही है।
- CAF अंतरराष्ट्रीय संरक्षण प्रयासों, विशेष रूप से प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी अभिसमय (CMS) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमुख प्रवासी पक्षी मार्गों में से एक है।

- इस फ्लाईवे का उपयोग 600 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ करती हैं। इसलिए इनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय सीमाओं के पार सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान अत्यंत आवश्यक है।



स्रोत: DTE

CAQM समिति द्वारा 2030 तक दिल्ली में 100% इलेक्ट्रिक कारों का प्रस्ताव

संदर्भ

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की है।

प्रमुख सिफारिशें

- समिति ने दिल्ली-NCR में BS-I, BS-II और BS-III वाहनों को तत्काल चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की है।
- वर्ष 2030 तक BS-IV वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2026 की सर्दियों में प्रायोगिक प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है।
- वर्ष 2035 तक BS-VI दोपहिया वाहनों तथा वर्ष 2040 तक BS-VI चारपहिया वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है।
- वर्ष 2035 से यदि औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 से अधिक रहता है, तो BS-VI वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का सुझाव दिया गया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

- CAQM का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत किया गया था।
- उद्देश्य: यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

आयोग की प्रमुख शक्तियाँ:

- वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना।
- वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संहिताएँ एवं दिशा-निर्देश तैयार करना।
- निरीक्षण और विनियमन सहित विभिन्न मामलों पर निर्देश जारी करना, जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी होंगे।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पराली जलाने से प्रदूषण फैलाने वाले किसानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करना और उसकी वसूली करना।
- श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (GRAP) के अंतर्गत NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आदेश जारी करना।
- किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति में आयोग के आदेश या निर्देश संबंधित राज्य सरकारों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा राज्य स्तरीय वैधानिक निकायों के आदेशों पर प्रभावी होंगे।

स्रोत: THE PRINT

SIDM चैंपियन पुरस्कार 2026

संदर्भ

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स (SIDM) के आठवें वार्षिक सत्र में SIDM चैंपियन पुरस्कार 2026 प्रदान किए।

पुरस्कार के बारे में

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास, उत्पाद नवाचार, डिजाइन, आयात प्रतिस्थापन, विनिर्माण उत्कृष्टता और निर्यात के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए विभिन्न संगठनों को कुल 15 चैंपियन पुरस्कार प्रदान किए गए।
- उद्देश्य: भारतीय उद्योगों को प्रौद्योगिकी और उत्पाद नवाचार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि रक्षा बलों की क्षमताओं से संबंधित कमियों को दूर किया जा सके।
- पात्रता मानदंड: सभी भारतीय विनिर्माण कंपनियाँ SIDM चैंपियन पुरस्कारों में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
- ऐसी कंपनियाँ पात्र हैं जिनमें विदेशी हिस्सेदारी अधिकतम 50% तक हो और जो किसी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी न हों।

SIDM के बारे में

- सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स (SIDM) एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका गठन भारतीय रक्षा उद्योग के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से किया गया है।
- यह भारत के रक्षा उद्योग के विकास और क्षमता संवर्धन के लिए एक प्रतिनिधि, उत्प्रेरक तथा सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है।

स्रोत: PIB

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा जाएगा

संदर्भ

- उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर 'नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा' करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

परिचय

- मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्षों की निरंतर सेवा के उपलक्ष्य में यह प्रस्ताव पारित किया। इस अवधि की शुरुआत वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से हुई थी।

- प्रस्ताव लागू होने के बाद, यह किसी पदासीन प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाने वाला पहला हवाई अड्डा बन जाएगा। अन्य हवाई अड्डे—नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा और वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा—पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम पर हैं।
- गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत किया गया है। इस परियोजना में ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की सहायक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश के राज्य प्राधिकरण शामिल हैं।
- यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में अग्रसर है।

स्रोत: IE

